(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 443–दो/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 54/2004–05 निगरानी

1– राजेन्द्र सिंह तौमर पुत्र रणवीर सिंह
निवासी सिन्दे की छावनी लश्कर ग्वालियर
2– गोपालसिंह पुत्र रणवीर सिंह तौमर
3– कुलदीप पुत्र गोपाल सिंह
4– श्रीमती रामदेवी पत्नि स्व.रणवीर सिंह
तीनों निवासी गोपाल सदर जनकगॅज
डिस्पेंशरी के पास छत्री मंडी ग्वालियर ––आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती ममता तौमर पत्नि स्व.इन्द्रजीत तौमर
जंडेलसिंह भदौरिया का मकान,गीता भवन
वाली गली भिण्ड मध्य प्रदेश
2– विकाससिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह निवासी शुभम्
काम्पलेक्स प्रथम तल नौगजा रोड
सिन्दे की छावनी लश्कर ग्वालियर –– अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 10 – 6 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 54/2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15–12–2005 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम नौनेरा के कृषक रणवीर सिंह पुत्र छोटेलाल के नाम कुल किता 44 कुल रकबा 14.944 हैक्टर भूमि थी, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमाक 30 पर आदेश दिनांक 14-10-92 से वारिसान का नामान्तरण प्रमाणित किया गया, किंतु इस आदेश के उपरांत पुनः इसी भूमि पर ग्राम पंचायत नौनेरा के संकल्प कमांक 11 दिनांक 15-9-96 से आवेदकगण के हित में नामान्तरण किया गया। तदुपरांत नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 17-8-2000 बटवारा आदेश भी पारित कर दिया। पुनः नामांत्रण करते समय अनावेदक क-1 का नाम छोड़ देने के कारण कलेक्टर भिण्ड को तदाशय का शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर जांच कराकर कलेक्टर भिण्ड ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 21/04-05 पंजीबद्ध किया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 25-7-2005 पारित किया तथा ग्राम पंचायत नौनेरा का संकल्प कमांक 11 दिनांक 15-9-96, नायव तहसीलदार का बटवारा आदेश दिनांक 17-8-2000 निरस्त करते हुये ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 30 पर आदेश दिनांक 25-8-92 से किये गये नामान्तरण को यथावत् रखा। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 54/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-12-2005 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गए। अनावेदक क-1 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कानुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम नौनेरा के कृषक रणवीर सिंह पुत्र छोटेलाल की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमाक 30 पर आदेश दिनांक 14-10-92 से मृतक के सभी वारिसानों का नामान्तरण प्रमाणित किया गया है । प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि आवेदकगण के समक्ष ऐसी कौनसी विशेष परिस्थितियॉ बनी, जिनके व्दारा नामान्तरण पंजी के सरल क्रमाक 30 पर आदेश दिनांक 14-10-92 से हुये नामान्तरण के तथ्य को नजरन्दाज करते हुये उसी भूमि पर ग्राम पंचायत नौनेरा के संकल्प क्रमांक 11 दिनांक 15-9-96 से पुनः नामान्तरण कराना पड़ा। इस सम्बन्ध में विद्वान कलेक्टर भिण्ड व्दारा आदेश दिनांक 25-7-2005 के पृष्ठ-6 पद 2 का निष्कर्ष निम्नवत् है :-

" मृतक खातेदार रणवीर सिंह व्दारा निष्पादित बसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही उसके देहांत के तत्काल पश्चात् क्यों नहीं की गई। क्या ग्राम पंचायत को बसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित करने का अधिकार था या नहीं ? उक्त सम्बन्ध में म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी पंजीयक दस्तावेज की सूक्ष्म जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है न कि ग्राम पंचायत को।"

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत व्दारा अधिकार क्षेत्र के वाहर् जाकर नामान्तरण पंजी के सरल क्रमाक 30 पर आदेश दिनांक 14-10-92 से हुये नामान्तरण के तथ्य को नजरन्दाज करते हुये उसी भूमि पर ग्राम पंचायत के संकल्प क्रमांक 11 दिनांक 15-9-96 से अनावेदक क-1 का नाम नामान्तरण से हटाते हुये पुनः नामान्तरण करने में त्रुटि की गई है।

5/ आवेदकगण व्दारा ग्राम पंचायत के संकल्प क्रमांक 11 दिनांक

15-9-96 से कूटरचित नामान्तरण कराते हुये नायव तहसीलदार गोहद के समक्ष वादोक्त भूमि के बटवारा करने का आवेदन दे दिया एंव नायव तहसीलदार ने भी नामान्तरण पंजी के सरल कमाक 30 पर आदेश दिनांक 14-10-92 से हुये नामान्तरण के तथ्य को (अभिलेख को) नजरन्दाज करते हुये एंव संपूर्ण अभिलेख का परीक्षण किये बिना प्रकरण कमांक 2/99-2000 अ-27 में पारित आदेश दिनांक 17-8-2000 से बटवारा करने में त्रृटि की है जिसके कारण विद्वान कलेक्टर भिण्ड ने जॉच में कूटरचना पाये जाने से स्वमेव निगरानी कमांक 21/04-05 पंजीबद्ध कर हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये आदेश दिनांक 25-7-2005 से ग्राम पंचायत नौनेरा का संकल्प कमांक 11 दिनांक 15-6-96 तथा नायव तहसीलदार का बटवारा आदेश दिनांक 17-8-2000 निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 54/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-12-2005 से कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 54/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-12-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर